आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 810/इंदौर/2018
निर्धारण वर्ष : 2011-12

सहायक आयकर आयुक्त-2(1), इंदौर	बनाम	श्री ओमप्रकाश धनवानी, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एईझेडपीडी 9192 बी		

प्रत्याक्षेप सं. 31/इंदौर/2019
(आ.अ.सं. 810/इंदौर/2018 से उद्भूत)
निर्धारण वर्ष : 2011-12

श्री ओमप्रकाश धनवानी, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त-2(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एईझेडपीडी 9192 बी		

निर्धारिती की ओर से	श्री एस.एस.देशपांडे, सी.ए.
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.मित्रा तथा श्री आशीष पोरवाल, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	14.09.2022
उद्घोषणा तिथि	15.09.2022

आदेश

सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित राजस्व द्वारा दखिल उपरोक्त अपील तथा निर्धारिती द्वारा दाखिल प्रत्याक्षेप विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर के आदेश दिनांक

03.07.2018 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि सहायक आयकर आयुक्त-2(1), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 29.11.2016 से उद्भूत है ।

2. इन प्रकरणों के संबंध में, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2013 के द्वारा किए गए परिवर्धन के विरूद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष क्वांटम अपील सं. CIT(A) Indore-1/10125/2018-19 दाखिल की थी । तत्पश्चात निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना, 2020" के तहत आवेदन किया तथा विभाग द्वारा निर्धारिती के आवेदन को स्वीकार कर फार्म सं. 5 जारी किया गया था । निर्धारिती द्वारा क्वांटम अपील "विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अनुसार वापिस ले ली थी । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि जब वे क्वांटम परिवर्धन ही आस्तित्व में नहीं हैं जिनके आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्तियां अधिरोपित की गई हैं, तब उन पर अधिरोपित शास्तियां भी अस्तित्व में नहीं रहेगी । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन दाखिल विचाराधीन अपील को खारिज करने का अनुरोध किया। इस संबंध में निर्धारण अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है कि निर्धारिती द्वारा क्वांटम अपील के संबंध में विवाद से विश्वास योजना, 2020 में भाग लिया गया था तथा विभाग द्वारा निर्धारिती का आवेदन स्वीकार किया गया था । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इन तथ्यों का विरोध नहीं किया है ।

3. हमने दोनों पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों को सुना है तथा हमारे समक्ष उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है । हमने पाया कि निर्धारिती द्वारा विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दाखिल क्वांटम अपील का निपटान "विवाद से विश्वास योजना, 2020" के

तहत किया जा चुका है । अतः हमारे विचारपूर्ण अभिमत में जब वे क्वांटम परिवर्धन ही आस्तित्व में नहीं हैं जिनके आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्तियां अधिरोपित की गई हैं, तब उन पर अधिरोपित शास्तियां भी अस्तित्व में नहीं रहेगी । अतः विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन दाखिल अपील की कोई प्रासंगिकता नहीं बची है । अतः हम इसे निष्फल होने के कारण खारिज करते है ।

4. जहाँ तक निर्धारिती द्वारा दाखिल प्रत्याक्षेप का संबंध हैं, चूंकि हमने विभाग की अपील को पहले ही खारिज किया है, अतः निर्धारिती का प्रत्याक्षेप निष्फल होता है । अतः निर्धारिती का प्रत्याक्षेप निष्फल होने के कारण खारिज किया जाता है ।

3. परिणामतः, राजस्व की अपील तथा निर्धारिती का प्रत्याक्षेप खारिज किए जाते हैं ।

यह आदेश 15.09.2022 को खुले न्यायालय उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(मधुमिता रॉय)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 15.09.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल